रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082024-256069
CG-DL-E-05082024-256069

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 436]	नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2024/ श्रावण 14, 1946
No. 436]	NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2024/ SHRAVANA 14, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 475(अ).— केंद्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 79 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) वे 27 अगस्त, 2024 से प्रवृत्त होंगे।

2. सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के, नियम 37 में,-

(1) उपनियम (1) में,-

(क) खण्ड (ख) में, "रजिस्ट्रार" शब्द के पश्चात्, ",त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) पहले परन्तुक में, "रजिस्ट्रार" शब्द के पश्चात्, ", त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"***स्पष्टीकरण-*** इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र से केंद्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 396 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1269(अ), तारीख 17 मार्च, 2023 द्वारा स्थापित त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र अभिप्रेत है";

(ii) उपनियम (3) में, "रजिस्ट्रार, यदि सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा इसके प्रतिकूल दर्शाया नहीं जाता है, अथवा रजिस्ट्रार का समाधान है" शब्दों के स्थान पर "रजिस्ट्रार, त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केन्द्र यदि, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा इसके प्रतिकूल दर्शाया नहीं जाता है, अथवा रजिस्ट्रार, त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केन्द्र का समाधान है" शब्द रखे जाएंगे,

(iii) उपनियम (4) में, "रजिस्ट्रार" शब्द के पश्चात्, "त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे,

[फा. सं. 01/2/2021-सीएल-V-एमसीए-पार्ट (3)]

मनोज पाण्डेय, अपर सचिव

टिप्पणः- मूल नियम भारत के राजपत्र में, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 229 (अ) तारीख 01 अप्रैल, 2009 के द्वारा प्रकाशित किये गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 803 (अ) तारीख 27 अक्तूबर, 2023 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2024

G.S.R. 475(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Limited Liability Partnership Rules, 2009, namely: -

1. (1) These rules may be called the Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force with effect from 27th day of August, 2024.

2. In the Limited Liability Partnership Rules, 2009, in rule 37,-

(i) in sub-rule (1),-

(A) in clause (b), after the word "Registrar", the words "the Centre for Processing Accelerated Corporate Exit" shall be inserted;

(B) in the first proviso, after the word "Registrar", the words "the Centre for Processing Accelerated Corporate Exit" shall be inserted;

(C) the following Explanation shall be inserted, namely:-

***"Explanation*.-** for the purposes of this sub-rule, the Centre for Processing Accelerated Corporate Exit means the office of Centre for Processing Accelerated Corporate Exit established by the Central Government, vide notification number S.O. 1269(E), dated 17th March, 2023 issued under sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)";

(ii) in sub-rule (3), after the word "Registrar" occurring at both places, the words "or the Centre for Processing Accelerated Corporate Exit, as the case may be" shall be inserted;

(iii) in sub-rule (4), after the word "Registrar", the words "or the Centre for Processing Accelerated Corporate Exit, as the case may be" shall be inserted;

[F. No. 01/2/2021-CL-V-MCA-Part(3)]

MANOJ PANDEY, Addl. Secy.

Note: The principal rules, were published in the Gazette of India, *vide* notification number G.S.R. 229 (E) dated the 01st April, 2009 and last amended, *vide* notification number G.S.R 803 (E) dated the 27th October, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.08.05 20:53:22 +05'30'